# न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

## अपील संख्या : 15/388

रामलक्ष्मण बेवा श्री महावीर जाति ब्राह्मण निवासी ठीकरदा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी।

----अपीलान्ट

**बनाम**

1. मंजू बेवा श्री महावीर जाति ब्राह्मण निवासी ठीकरदा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।
2. सुशीला पुत्री कल्याण पत्नी श्री नवीन जाति ब्राह्मण निवासी दबलाना तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।
3. शिवजी लाल आत्मज श्री श्रीकिशन जाति ब्राह्मण निवासी दबलाना तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।
4. रमेश आत्मज श्री श्रीकिशन जाति ब्राह्मण निवासी दबलाना तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।
5. दिनेश आत्मज श्री श्रीकिशन जाति ब्राह्मण निवासी दबलाना तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।
6. कंचन पत्नी श्री श्रीकिशन जाति ब्राह्मण निवासी दबलाना तहसील हिण्डोली जिला बून्दी।
7. प्रेमबाई पुत्री श्री श्रीकिशन पत्नी सत्यनारायण जाति ब्राह्मण निवासी जवाहर नगर, बून्दी
8. शांति बाई पुत्री श्री श्रीकिशन पत्नी श्री गोपाल जाति ब्राह्मण निवासी काला महलों की गली बून्दी ।
9. कान्ता पुत्री श्री श्रीकिशन पत्नी श्री रामचरण जाति ब्राह्मण निवासी मंगाल तहसील एवं जिला बून्दी ।
10. संतोष पुत्री श्री किशन पत्नी गिरधर जाति ब्राह्मण निवासी छत्रपुरा तहसील एवं जिला बून्दी ।
11. बजरंग लाल आत्मज श्री रामजीवन जाति ब्राह्मण निवासी दरा का नया गॉव तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।
12. शंकर लाल आत्मज श्री रामजीवन जाति ब्राह्मण निवासी दरा का नया गॉव तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।
13. भंवरी बाई पुत्री श्री रामजीवन पत्नी श्री सत्यनारायण जाति ब्राह्मण निवासी गणेश बाग जिला बून्दी तुस्कडी वाले ।
14. पुष्पा बाई पुत्री श्री रामजीवन पत्नी श्री रामनारायण जाति ब्राह्मण ब्राह्मणों का मोहल्ला बांसी तहसील नैनवा जिला बून्दी।
15. दाखां पुत्री श्री रामजीवन पत्नी श्री बद्रीलाल जाति ब्राह्मण निवीस ब्राह्मणों का मौहल्ला बांसी तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
16. गोरधीन पुत्री श्री रामजीवन पत्नी श्री मदन लाल जाति ब्राह्मण निवासी डाबेटा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।

17. सोहनी पुत्री श्री रामजीवन पत्नी श्री किशनगोपाल जाति ब्राह्मण निवासी भंडेडा तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
18. राजस्थान राज्य द्वारा तहसीलदार हिण्डोली तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।

———रेस्पोडन्ट

उपस्थित :— 1. श्री कैलाश चन्द्र नामधराणी, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री बृजमोहन गौतम, अभिभाषक, रेस्पोडेन्टगण की ओर से ।

## निर्णय

दिनांकः 14.10.2019

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, हिण्डोली जिला बून्दी द्वारा पारित निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 12.06.2015 के विरूद्ध पेश की गई हैं ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादी रेस्पोडेन्ट कम 01 ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 53 एवं 188 के अन्तर्गत वाद प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम दबलाना तहसील हिण्डोली में खसरा नम्बर 886 रकबा 02 बीघा 10 बिस्वा, खसरा नम्बर 888 रकबा 04 बीघा, खसरा नम्बर 889 रकबा 05 बीघा 11 बिस्वा, खसरा नम्बर 891 रकबा 12 बिस्वा कुल 04 किता की रकबा 13 बीघा 01 बिस्वा भूमि स्थित है । उक्त भूमि में वादी व प्रतिवादी कम 1 व 2 का संयुक्त रूप से 1/3 हिस्सा दर्ज है । इसी प्रकार ग्राम दरा का नया गॉव तहसील हिण्डोली जिला बून्दी में खसरा नम्बर 123 रकबा 02 बीघा 05 बिस्वा, खसरा नम्बर 124 रकबा 02 बीघा 07 बिस्वा, खसरा नम्बर 125 रकबा 02 बीघा 01 बिस्वा, खसरा नम्बर 129 रकबा 01 बीघा 16 बिस्वा, खसरा नम्बर 130 रकबा 10 बिस्वा, खसरा नम्बर 131 रकबा 12 बिस्वा, खसरा नम्बर 132 रकबा 19 बिस्वा, खसरा नम्बर 133 रकबा 02 बीघा 17 बिस्वा कुल 08 कित की रकबा 13 बीघा 07 बिस्वा भूमि स्थित है । उक्त भूमि में वादिनी का 1/9 हिस्सा दर्ज है । वादग्रस्त आराजी पक्षकारान के पूर्वजों रामजीवन, श्रीकिशन व कल्याण जी ने भूमि पर काश्त करने की सुविधा की दृष्टि से मौके पर हिस्से कर रखे थे । कल्याण जी के दो पुत्र रामलक्ष्मण व महावीर तथा पुत्री सुशीला उर्फ घीसी पैदा हुई है । महावीर की भी मृत्यु हो गयी है । वादग्रस्त भूमि में कल्याण जी का 1/3 हिस्सा था और उनके देहान्त के बाद रामलक्ष्मण, महावीर व सुशीला तीनों संयुक्त रूप से 1/3 हिस्से की भूमि के हिस्सेदार बने । महावीर की मृत्यु हो जाने से महावीर के हिस्से की भूमि 1/9 की वादिनी मालिक बनी है अर्थात् दोनों वादग्रस्त भूमियों में वादिनी का 1/9–1/9 हिस्सा निहित है । वादिनी को अधिकार है कि वह वादग्रस्त आराजी का विधिवत विभाजन करावे ।

3. अतः वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर वादीगण के पक्ष में एंव प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस आशय की डिक्री पारित की जावे कि दोनों ग्रामों की वादग्रस्त आराजी का पक्षकारान के मध्य विधिवत विभाजन किया जाकर वादिनी के हिस्से की भूमि का पृथक खात कायम किया जावे एवं वादिनी को बंटवारे में प्राप्त भूमि का स्वतंत्र कब्जा भी वादिनी को दिलवाया जावे ।

यथासंभव वादिनी के हिस्से में ग्राम दबलाना की दबलाना से धाबाईयों का नया गॉव जाने वाली सडक के सहारे की भूमि बंटवारे में दी जावे । वादिनी के हिस्से की भूमि पर जबरन कब्जा नहीं करने तथा कब्जे काश्त में हस्तक्षेप नहीं करने हेतु प्रतिवादी क्रम 01 को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे । दौराने वाद प्रतिवादी क्रम 01 वादिनी के हिस्से की भूमि पर जबरन कब्जा कर ले तो उसे बेदखल कर कब्जा वादिनी को दिलाया जावे ।

4. प्रतिवादी क्रम 01 व 02 द्वारा जवाबदावा पेश कर वादपत्र में कहे गये कथनों को अस्वीकार करते हुए वादिनी का वाद खारिज करने का कथन किया ।

5. अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद को लोक अदालत में रखते हुए अपने निर्णय दिनांक 12.06.2015 के द्वारा वाद वादिन स्वीकार करते हुए विभाजन की प्राथमिक डिक्री पारित कर दी।

6. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 12.06.2015 से व्यथित होकर अपीलान्ट प्रतिवादी क्रम 01 ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय में प्रकरण तलबी में लम्बित था जिसे बिना किसी सूचना के लोक अदालत में रखते हुए सीपीसी की पालना किये बिना अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना ही उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री पारित कर दी जो त्रुटिपूर्ण है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 12.06.2015 निरस्त फरमाया जावे ।

7. अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

8. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और कथन किया कि वादिनी रेस्पोडेन्ट क्रम 01 ने वादग्रस्त आराजी के बाबत् विभाजन एंव स्थायी निषेधाज्ञा का वाद पेश किया जिसे अधीनस्थ न्यायालय ने लोक अदालत में रखते हुए वादिनी का वाद स्वीकार करते हुए विभाजन की प्राथमिक डिक्री जारी कर दी । अपीलान्ट के पिता श्री कल्याण द्वारा अपनी समस्त चल–अचल सम्पत्ति अपने द्वारा निष्पादित वसीयत दिनाक 03.11.1999 से प्रतिवादी क्रम 01 अपीलान्ट के पक्ष में कर दिये जाने के कारण वादिनी व प्रतिवादी क्रम 02 का कल्याण जी की सम्पत्ति में कोई हक व अधिकार नहीं है । वादग्रस्त आराजी पर वादिनी रेस्पोडेन्ट का कभी कब्जा काश्त नहीं रहा है । सीपीसी की पालना नहीं की गई है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 12.06.2015 निरस्त फरमाया जावे ।

9. रेस्पोडेन्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने लोक अदालत की भावना से निर्णय पारित किया है । अधीनस्थ न्यायालय ने राजस्व रिकॉर्ड में अंकित हिस्से अनुसार वादिनी का वाद स्वीकार कर विभाजन की विधि सम्मत रूप से प्राथमिक डिक्री पारित की है । अपीलान्ट का कोई काउन्टर क्लेम नहीं है । वसीयत के आधार पर हक घोषणा की सहायता नहीं मांगी है । संयुक्त खाते की आराजी में प्रत्येक सहखातेदार का

प्रत्येक इंच पर कब्जा माना जाता है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 12.06.2015 बहाल रखा जावे ।

10. हमने पत्रावली का अधोपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । अधीनस्थ न्यायालय में वादिनी रेस्पोडेन्ट कम 01 ने एक दावा विभाजन एवं स्थायी निषेधाज्ञा का पेश किया । अधीनस्थ न्यायालय में उक्त वाद प्रतिवादी कम 09 की तलबी में लम्बित था और इसे लोक अदालत में रखा गया । लोक अदालत में पक्षकारान के द्वारा कोई राजीनामा पेश नहीं किया गया है । वादिनी रेस्पोडेन्ट के उपस्थिति के हस्ताक्षर करवाए गये हैं और उसी दिन गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित करते हुए दावा वादी स्वीकार करते हुए विभाजन की प्रारम्भिक डिक्री जारी की गई है । सीपीसी की पालना किये बिना ही उक्त अपीलाधीन निर्णय एंव डिक्री पारित की गई है ।

11. लोक अदालत में केवल उन्हीं प्रकरणों का निस्तारण किया जाता है जिसमें उभय पक्ष उपस्थित होकर विधिक राजीनामा पेश करे । इसके अभाव में दावे एवं जवाबदावे के आधार पर तनकीयात कायम कर प्रत्येक तनकी पर पक्षकारान की साक्ष्य लेकर प्रत्येक तनकी का स्पष्ट निष्कर्ष पारित करते हुए विधि सम्मत गुणावगुण के आधार निर्णय पारित करना होता है । इस दृष्टि से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय एंव डिक्री पारित की गई है वह त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । हम प्रस्तुत प्रकरण को अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित समझते हैं ।

12. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 12.06.2015 निरस्त किया जाता है । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि प्रतिवादी कम 01 व 02 के अलावा अन्य प्रतिवादीगण से जवाबदावा प्राप्त कर दावे एवं जवाबदावे के आधार पर तनकीयात कायम कर प्रत्येक तनकी पर पक्षकारान की साक्ष्य लेकर प्रत्येक तनकी का अपना स्पष्ट विवेचन करते हुए सीपीसी की पालना करते हुए गुणावगुण के आधार पर विधि सम्मत रूप से पत्रावली प्राप्ति के 06 माह के अन्दर निर्णय पारित करें । पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे दिनांक 27.11.2019 को अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हों ।

13. निर्णय आज दिनांक 14.10.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

14.10.19

**(भागवंती जेठवानी)**
**राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा**